न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

मुन्तकिली प्रकरण संख्या 324 / 2025(GCMS : 2025/428)

जगदीश सिड़ाना पुत्र श्री मिलखीराम जाति अरोड़ा निवासी 118 पी ब्लॉक, श्रीगंगानगर

बनाम

1. **भगवान दास** पुत्र श्री मिलखी राम जाति अरोड़ा निवासी 23 एम एल तहसील व जिला श्रीगंगानगर
2. **रवि कुमार** तहसील श्रीगंगानगर

10.12.2025

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी के अधिवक्ता श्री ओम प्रकाश बजाज एवं अप्रार्थी के अधिवक्ता श्री दिनेश छाबड़ा उपस्थित हुए। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि तुलछी उर्फ तुलछी बाई पत्नी मिलखीराम के नाम चक 23 एम एल मुरब्बा नम्बर 14 में 6.197 हैक्टेयर एवं मुरब्बा नम्बर 14 के किला नम्बर 7 में 0.126 हैक्टेयर कुल 6.323 हैक्टेयर रकबा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। तुलछी देवी द्वारा दिनांक 29.12.2007 को बन्द वसीयत की थी तथा तुलछा बाई का स्वर्गवास दिनांक 09.01.2012 को हो गया था।

उनका आगे यह भी कथन है कि वसीयत के आधार पर तमाम जमीन का इन्तकाल करने, जिसकी जानकारी प्रार्थी को हुई तो प्रार्थी द्वारा प्रारम्भिक आपत्ति दिनांक 26.09.2025 को प्रस्तुत की। इस जमीन के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर, राजस्व मण्डल अजमेर एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर की अदालत में मलकीति के सम्बन्ध में मामला विचाराधीन है, इसलिए उसका निर्णय जब तक नहीं हो जाता, तब तक इन्तकाल की कार्यवाही स्थगित की जावे, मगर अधीनस्थ न्यायालय ने इस आपत्ति पर गौर न करके दिनांक 03.10.2025 को गवाहों को पाबन्द किया तथा तारीख पेशी 13.10.2025 नियत की गयी।

उनका आगे यह भी कथन है कि प्रार्थी ने गवाहों के जो शपथ पत्र पेश किये उसकी प्रति मांगी गई थी, पर प्रार्थी को तहसीलदार द्वारा नकल नहीं दी गयी तथा तारीख पेशी 13.10.2025 को रख दी। तहसीलदार द्वारा दिनांक 13.10.2025 को अपने फर्द अहकाम पर अपनी इच्छा से ब्यान दर्ज किये। प्रार्थी को गवाहों की जिरह करने का मौका नहीं दिया जबकि नियम के तहत पहले प्रारम्भिक आपत्ति का निर्णय किया जाना चाहिए था, उसका प्रार्थी जवाब देता गया बयान ... की मौजूदगी में लिये जाते, मगर तहसीलदार द्वारा जानबूझकर दिनांक 27.10.2025 रख कर आगे तारीख पेशी 06.11.205 रख दी। दिनांक 27.10.2025 को प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.12.26 11:53:26 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

मुंतकिली प्रार्थना पत्र 324 / 2025
(GCMS No. 2025/428)

शपथ पत्र व गवाह पेश करने है मगर तहसीलदार ने कहा कि आपके कोई ब्यान नहीं लूंगा मैने तो अप्रार्थी के नाम इन्तकाल करना है।

उनका आगे यह भी कथन है कि तहसीलदार, गंगानगर के व्यवहार से स्पष्ट प्रतीत हो रहा था कि वह अप्रार्थी संख्या 01 के प्रभाव में है तथा सही न्याय नहीं करेगें। इसलिए जानबूझकर कानूनी प्रक्रिया ना अपनाकर जल्दबाजी से इन्तकाल भगवानदास के नाम करने पर उतारू है, इसलिए अधीनस्थ न्यायालय से न्याय की कतई उम्मीद नहीं हैं इसलिए उन्होनें तहसीलदार, गंगानगर के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण को अन्य न्यायालय में मुंतकिल किये जाने की प्रार्थना की है। प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपने बहस के समर्थन में आरआरडी 14.09.2011 पृष्ठ 627–633, आरआरटी 2002(2) पृष्ठ 878, RRT-2022-23(Supp.) page 635-36, RRD 14.09.2009-Page 585-588 आदि की प्रतियां प्रस्तुत की है।

इसके विपरीत अप्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि जिला पंजीयन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत बन्द वसीयत, जो वतीसतकर्त्ता के देहान्त उपरान्त खुलवायी जाकर पंजीकृत हुई, के आधार पर नामान्तरण का आवेदन पत्र प्रार्थी संख्या 2 के समक्ष विचाराधीन है, जिसमें प्रार्थी विरोधस्वरूप उपस्थित है।

उनका आगे यह भी कथन है कि दिनांक 26.09.2025 को प्रस्तुत प्रार्थी की आपत्ति का विस्तुत जवाब अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से अप्रार्थी संख्या 02 के समक्ष प्रस्तुत किया, जिस पर दिनांक 06.11.2025 को उक्त प्रारम्भिक आपत्ति पर बहस सुनी जाकर आपत्ति का निस्तारण अप्रार्थी संख्या 02 के द्वारा दिनांक 06.11.2025 को दोनों पक्षों को सुनने के उपरान्त रिकॉर्ड एवं कानूनी बिन्दुओं पर विधिसम्मत किया गया। प्रार्थी यदि आदेश दिनांक 06.11.2025 से व्यथित होता तो उसे आदेश दिनांक 06.11.2025 के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में कार्यवाही करने का अधिकार प्राप्त था, लेकिन प्रार्थी ने आदेश दिनांक 06.11.2025 के विरूद्ध कार्यवाही न कर, तथ्यों को छुपाते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष यह मुंतकिली प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया।

उनका आगे यह भी कथन है कि वसीयत सम्बन्धित इन्तकाल प्रकरण में गवाहान के शपथ पत्र लिये जाकर ब्यान लिये जाने की अधिकारिता भू राजस्व अधिनियम के तहत अप्रार्थी सं[illegible] महज प्रारम्भिक स्तर पर पंजीकृत वसीयत की वैधता की जांच कर[illegible] शपथ पत्रों के आधार पर प्रकरण का निस्तारण करना है[illegible] गवाहान से जिरह करवाकर प्रकरण में कोई फैसला देना है। यदि प्रा[illegible]पंजीकृत वसीयत से प्रभावित है तो सक्षम दीवानी न्यायालय में जा सकता है लेकिन ऐसे तथ्य मुन्तकिली प्रार्थना पत्र का आधार नहीं हो सकते।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.12.26 11:53:26 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

उनका आगे यह भी कथन है कि दिनांक 26.09.2025 को इन्तकाल पत्रावली में उपस्थित हुआ, जिसकी उपस्थिति में आयन्दा पेशी 03.10.2025 नियत की गयी। दिनांक 03.10.2025 को पुनः प्रार्थी जगदीश सिड़ाना इन्तकाल पत्रावली में उपस्थित हुआ, जिसकी उपस्थिति में आयन्दा पेशी 13.10.2025 नियत की गयी एवं इस पेशी पर आईन्दा पेशी के लिए गवाहों के ब्यान करवाने के लिए पाबन्द किया गया, जिसकी बाखूबी जानकारी प्रार्थी को है लेकिन प्रार्थी जानबूझकर आईन्दा दिनांक 13.10.2025 को उपस्थित नहीं हुआ तथा आईन्दा दिनांक 27.10.2025 नियत की गई। नियत पेशी से पूर्व ही प्रार्थी जगदीश सिडाना के द्वारा अपने अधिवक्ता का वकालतनामा प्रस्तुत किया, लेकिन कोई आवेदन ब्यान करवाने के संदर्भ में नहीं दिया।

उनका आगे यह भी कथन है कि प्रकरण की आदेशिका से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रक्रियाओं का पालन किया जा रहा है। पंजीकृत वसीयत के आधार पर इन्तकाल करना न्यायोचित है प्रभावित पक्षकार, यदि प्रार्थी है तो वह न्यायालय में वसीयत के विरूद्ध जा सकता है चूंकि इन्तकाल एक फिसिकल प्रोसिडिंग है, जिससे अधिकार तैय नहीं होते है, इसलिए ऐसे तथ्यों को आधार पर पंजीकृत वसीयत के आधार पर इन्तकाल को रोका नहीं जा सकता है।

उनका आगे यह भी कथन है कि प्रार्थी, जो कि माननीय जिला न्यायाधीश, श्रीगंगानगर के न्यायालय से हार चुका है एवं राजस्व न्यायाल का स्थगन निरस्त हो चुका है, येन केन प्रकार से प्रकरण में देरी करने के आश्य से यह मुंतकिल प्रार्थन पत्र पेश किया हैं। प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में कहे गये तथ्य मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पर कोई आधार नहीं हो सकते है एवं ना ही ऐसे तथ्यों से यह क्यास लगाया जा सकता है कि अधिकारी दबाव में है। इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज करने की प्रार्थना की है।

मैनें, अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त टिप्पणी एवं पत्रावली का अवलोकन किया और उभयपक्ष के अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तो पाया कि प्रार्थी अधीनस्थ न्यायलाय में धारा 39 आरटीए का प्रकरण पेश किया हुआ है। तहसीलदार, श्रीगंगानगर ने अपनी टिप्पणी में प्रार्थी में द्वारा लगाये गये आरोपों का खण्डन करते हुए, उनके न्यायालय में लम्बित उक्त प्रकरण को किसी अन्य [illegible] में मुतकिल करने हेतु कोई आपत्ति जाहिर नहीं की है। [illegible] आरटीए के प्रकरण के गुण दोष पर विचार नहीं करना है, [illegible] को यह देखना है कि अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण में प्रार्थी को [illegible]क्ष न्याय मिलने की संभावना है अथवा नही,?

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.12.26 11:53:26 IST
Reason: SelfAttested

[signature]

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

प्रार्थी जगदीश सिड़ाना द्वारा यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र इस आधार पर पेश किया गया है कि पीठासीन अधिकारी पर अप्रार्थी संख्या 1– भगवान दास के प्रभाव में होने के कारण उन्हें निष्पक्ष न्याय नहीं मिलेगा। प्रार्थी द्वारा यह आरोप केवल मात्र कयास के आधार पर लगाया है। अगर वर्तमान पीठासीन अधिकारी पर किसी व्यक्ति विशेष के प्रभाव होने सम्बन्धी कथन, यदि तर्क के लिए मान भी लिया जावे तो ऐसा प्रभाव होने सम्बन्धी आरोप जिले के अन्य सक्षम पीठासीन अधिकारियों पर भी लगाया जा है। मुकद्दमा मुंतकिली का कोई ठोस आधार होना चाहिए। प्रार्थी द्वारा लगाया गया आरोप साधारण प्रकृति का है, जो कभी भी किसी पर किसी भी समय लगाया जा सकता है। मुन्तकिली प्रार्थना पत्र फौरी कारणों से मात्र कयास के आधार पर निर्णित नहीं किया जा सकता क्योंकि इससे न्यायिक व्यवस्था में व्यवधान पैदा होता है एवं पीठासीन अधिकारी की साख में कमी आती है। किसी पक्षकार की आशंका मात्र से यदि प्रकरण मुन्तकिल किया जावे तो अदालतों की विश्वसनीयता पर भी प्रतिकूल असर पड़ता है जो न्याय हित में उचित नहीं कहा जा सकता। बिना किसी ठोस आधार के प्रकरण को एक अदालत से दूसरी अदालत में मुन्तकिल नहीं किया जा सकता। इस प्रकार प्रार्थीगण द्वारा लगाये गये आक्षेपों का समर्थन किसी स्वतंत्र साक्ष्य से नहीं करवाया गया है। इस प्रकार प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में किसी प्रकार का बल नहीं होने के कारण इसे खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। न्यायहित में तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर को यह आदेश दिया जाता है कि वह उभयपक्ष को युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर प्रदान कर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का परीक्षण कर लम्बित प्रकरण में यह सिद्वान्त **कि "केवल न्याय होना ही नहीं चाहिए अपितु न्याय होता हुआ दिखना भी चाहिए" को ध्यान में रखते हुए विधिनुसार शीघ्र निस्तारण करें।** प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। निणर्य की प्रति तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर को भिजवाई जाये। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज [illegible] लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.12.26 11:53:26 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ. मन्जू)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर